राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2018/ दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर

विषय : जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग की विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2017/950 दिनांक : 23/1/18 की 10 प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशित करवाने का श्रम करे।

संलग्न – दस।
(पूर्व में प्रकाशित डीपीआर न. सी/10193/17.)

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2017/951 दिनांक : 23/1/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –:

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रेस नोट अपने स्तर से जारी करवाने का श्रम करावे।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश हेतु प्रकाशित की जाने वाली काउंसलिंग विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
9. जैनिथ आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा0.लि0, मालवीय नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 25.01.2018 से 02.02.2018 तक जिन अभ्यार्थियों का प्रवेश राजकीय नर्सिंग स्कूल की प्रथम काउंसलिंग में चयन नही हुआ है तथा जिन अभ्यार्थियों द्वारा निजी नर्सिंग स्कूलों हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किये गये है उन अभ्यार्थियों का More Backward Classes का ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत करे। ताकि काउंसलिंग से संबंधित अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2018/ 950 दिनांक : 23/1/18

"संशोधित विज्ञप्ति"

निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2017/622 दिनांक 24.08.2017 के बिन्दु संख्या एफ (F) में More Backward Classes के अभ्यार्थियों को तत्कालीन समय में नियमों में प्रावधान नही होने के कारण आरक्षण देय नही था।

कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए–।।/2017 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया गया है। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2017–18 में राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में शेष रही 246 सीटों एवं निजी क्षेत्र में संचालित जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को राजकीय कोटे से आवंटित होने वाली 3550 सीटों हेतु उक्त नोटिफिकेशन दिनांक 21.12.2017 की पालना की जानी है। जिन अभ्यार्थियों द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत किये गये है और उनमें से कोई अभ्यर्थी उक्त आरक्षण का पात्र है तो वह अभ्यर्थी More Backward Classes का सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र स्केन कर विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर अपनी ऑनलाईन जीएनएम आई.डी. पर दिनांक 25.01.2018 से 02.02.2018 तक आवश्यक रूप से अपलोड करे। पूर्व में राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम काउंसलिंग के दौरान चयनित अभ्यार्थियों पर उक्त नोटिफिकेशन लागू नही होगा।

निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी तरह से प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर